

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक. 1941 का नियम-126)

आदेश पत्रक ता० - २७ से - १६-१७ तक

जिला :- सं० - सन् २० - २०

केश का प्रकार :- सीमांकन के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
०४-०२-१७	<p>श्री <u>अनुप चन्द्र बंधी</u> वल्द श्री <u>स्व० बांदिप शाह</u> ग्राम <u>दीपुवा</u> पोस्ट <u>शाहवा</u> थाना <u>शाहवा</u> जिला <u>शाहवा</u> ने अपने भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसका विवरण निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="480 1399 1583 1613"> <thead> <tr> <th colspan="4">भूमि का विवरण</th> </tr> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दीपुवा</td> <td>१२</td> <td>३</td> <td>०.३१-३</td> </tr> </tbody> </table> <p>हल्का कर्मचारी/अंचल अमीन उक्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन दें कि प्रश्नागत भूमि किसकी है तथा मापी हेतु कितना समय लगेगा ताकि मापी शुल्क जमा कराया जा सके।</p> <p>अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हल्का कर्मचारी / अंचल अमीन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। तदनुरूप आवेदक को मापी शुल्क के रूप में मो०.....१२००/...../रु. जमा करने का आदेश दिया जाता है। अंचल नाजीर उक्त राशि की जमा का नाजीर रसीद निर्गत करें। साथ ही अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि का सीमांकन करके दिनांकतक अपना प्रतिवेदन दें। अपने स्तर से सभी पक्षों को अवगत करा दें।</p>	भूमि का विवरण				ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	दीपुवा	१२	३	०.३१-३	<p>अंचल पदा० शाहवा</p> <p>२०/०३</p> <p>अंचल पदा० शाहवा</p> <p>N.R. No 168936 मा० १२००/रु. शुल्क के रूप में जमा कराया जाया है २०/०३</p>
भूमि का विवरण														
ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा											
दीपुवा	१२	३	०.३१-३											

11.3.19

आगल्लेख अपर-नामिपु

अंमल अमीन से सीमांत प्रतिक्रिया का
अंमल

अपसंगे रिक्केत होयि आवेइत अतुप -
पदवृत्ती का भूमि पर वर्तमान में दखल फलपा
नाही है।

आवेइत दखल फलपा का निवारण हेतु
अवधार अमायलक का अस्पर्ह है।

अंमल अमीन के अंग प्रतिक्रिया के
आधार पर आगल्लेख की कार्यवाही असाध की जाती
है।

11/3/19

अंमल अधिपति
अफवा ।